Serial number and date of order.	Order and signature of officer	Note or action taken on order with date
1	2	3

6/9/20
2/9/20

पुनः अंचलाधिकारी का प्रतिवेदन देखा।
आदेशार्थ।

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 116/2019

प्रथम पक्ष

1. अली असगर पिता स्व0 अब्दुल मजीद, ग्राम+पो0– बकुनियॉ, वार्ड नं0 01, थाना– नवहट्टा, जिला– सहरसा

बनाम

द्वितीय पक्ष

1. अंचल अधिकारी, नवहट्टा

.....

आदेश

प्रस्तुत जमाबंदी रद्दीकरण वाद बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा 9 के अंतर्गत आवेदक प्रथम पक्ष द्वारा अवैध रूप से सृजित जमाबंदी सं0 1016 के रद्दीकरण हेतु इस न्यायालय में समर्पित किया गया। दिनांक 10.08.2019 को वाद ग्रहण किया गया तथा सभी पक्षों को सूचना निर्गत करते हुए दि0 13.09.2019 को सुनवाई प्रारंभ की गई। विवादित जमीन का विवरण निम्न प्रकार है–

मौजा	थाना नं0	तौजी सं0	खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
बकुनियॉ	24	5802, 6262	797	1296	94 डिसमल	उ0 निज एवं सुलेमान सहाबुद्दीन द0– मोतीउर रहमान पू0 निज खरीददार प0 खरीददार एवं राम आशीष यादव

आवेदक का कथन है कि वाद में वर्णित जमीन उन्होंने महेश्वर मंडल, देवी मंडल पिता बबुआ मंडल, बिमल मंडल, चंडल मंडल पिता बिशेश्वर मंडल, मुकेश मंडल पिता महेश्वर मंडल से वर्ष 2013 में खरीदा। वाद में वर्णित खाता सं0 797 खेसरा सं0 1296 रकवा 94 डिसमल पुराना खाता सं0 375 पुराना खेसरा सं0 347 से बना है, जिसका वास्तविक मालिक बबुआ मंडल एवं अन्य थे। उपरोक्त जमीन आवेदक के विक्रेता की पैतृक संपत्ति है।

आवेदक का आगे कथन है कि कालांतर में सुल्तान कानूपति सलाहउद्दीन ने अवैध रूप से बिना किसी उच्चाधिकारी के आदेश जाल जमाबंदी सं0 1016 अपने नाम से सृजित करा लिया। जिसकी जानकारी होने पर उनके द्वारा दि0 16.04.2019 को एक आवेदन समर्पित किया गया। तदालोक में अंचल अधिकारी, नवहट्टा से प्रतिवेदन की मांग की गयी तथा अंचल अधिकारी, नवहट्टा ने अपने पत्रांक 696–2 दि0 03.07.2019 के द्वारा यह प्रतिवेदित किया है कि उपरोक्त जमाबंदी सं0 1016 रकवा 94 डिसमल का सृजन बिना किसी उच्चाधिकारी के आदेश का हुआ है। आवेदक के पुनः कथन है कि

Serial Number and date of order.	Order and signature of officer	Note or action taken on order with date
1	2	3

उक्त जमीन पर वह परिवार के साथ पक्का घर बनाकर रह रहे है, जिसमें बहुत सारा आम एवं अन्य पेड़ लगा हुआ है।

आवेदक का पुनः कथन है कि वाद में वर्णित जमीन उन्होंने दो अलग–अलग खंड अर्थात दो बिक्रय पत्र के माध्यम से खरीद किया है। जो क्रमशः प्रथम खंड जमीन के उत्तराधिकारी तथा द्वितीय खंड माता तथा दादा से खरीद किया था। उनका यह भी कथन है कि कालांतर में उक्त जमीन पर धारा 144 की कार्यवाही की गई थी, तो भी अनुमंडल पदाधिकारी ने उनका शांतिपूर्ण दखल पाया था। जिसके बाद उनका दखल कब्जा पाते हुए उन्हें लगान रसीद भुगतान करने का आदेश दिया था।

इस न्यायालय के द्वारा प्रतिपक्षी अंचल अधिकारी, नवहट्टा से पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत की गई थी, जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, नवहट्टा ने अपने प्रतिवेदन पत्रांक 696–2/सपत्र दि0 26.07.2019 के हवाले से प्रतिवेदित किया है कि –

> " मौजा बकुनियॉ अंतर्गत खाता 797, खेसरा 1296 रकवा 0.94 डि0 जो अनाबाद बिहार सरकार खाते की भूमि है। उक्त खेसरा का दाखिल खारिज होकर जमाबंदी सं0 1016 खाता 797 खेसरा 1296 रकवा 0.94 डिसमल जो सुलतान कोनेन पति मो0 सलाउद्दीन के नाम दर्ज है। जिस जमाबंदी में वाद संख्या अंकित नहीं है।"

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भूमि खाता 797 खेसरा 1294 रकवा 0.94 डिसमल अनाबाद बिहार सरकार की भूमि प्रतिवेदित है, साथ ही जमाबंदी सं0 1016 में यह उल्लेखित नहीं है कि जमाबंदी का सृजन किस आधार पर किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि जमाबंदी का सृजन बिना अंचल अधिकारी के आदेश के अवैध तरीके से हल्का कर्मचारी द्वारा किया गया है। फलस्वरूप उक्त भूमि को बिहार सरकार के खाते की भूमि मानते हुए प्रश्नगत जमाबंदी सं0 1016 को रद्द किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

पक्षकार अपना–अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

अपर समाहर्ता,
सहरसा

अपर समाहर्ता,
सहरसा